फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ

नूर मोहम्मद बनाम अनिता बंसल

प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट. नम्बर 203 सन–2022

तरीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म का तामील में जारी हुए
06.09.2022	वकील सायल ने यह प्रार्थना –पत्र सायल की ओर से पेश किया प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर वकील सायल को स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुना गया प्रस्तुत रिकार्ड का अवलोकन किया गया प्रथम दृष्टया प्रकरण, सूविधा का सन्तुलन , अपूर्णीय क्षति का बिन्दु सायल के पक्ष में प्रतीत होता है अतः प्रस्तुंत दस्तावेज एवं शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए गैरसायलान /अप्रार्थी को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जाता है कि रोही मौजा कस्बा नोहर के खसरा संख्या 69/65 की कुल 1.4290हैक एव खाता संख्या 75/71 की कुल 4.300हैक भूमि में से विशेष हिस्से का बेचान आगामी तारीख पेशी तक नही किया जावे एव सायल के कब्जा काश्त में मदाखलत बेजा ना करे अस्थायी निषेधाज्ञा बढाने का निर्णय सुनने के उपरान्त लिया जावेगा एवं उक्त खाता में वर्णित भूमि के सम्बध में यदि उच्च राजस्व न्यायालयों का स्थगन आदेश होने की स्थिति में यह स्थगन आदेश प्रभावी नही होगा तथा खाता संख्या 69/65 की कुल 1.4290हैक भूमि जो सयुक्त खाते में तेल मील अकृषि भूमि राज्य सरकार हिस्सा 670/1429 हिस्सा व खाता संख्या 75/71 की कुल 4.300है में से 253/4300हिस्सा वक्फ सम्पति मदरसा मस्जिद कस्बा नोहर के नाम दर्ज है एव खाला एवं रास्ता की भूमि पर स्थगन आदेश लागू नही होगा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावें अप्रार्थीगण के रजिस्टर सम्मन जारी किये जाकर पत्रावली दिनांक 14.10.2022 को पेश हो। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर	

Scanned with CamScanner

30/9/2022

वकील साहब के निवेदन पर
पत्रावली पेश की गई।
वकील साहब ने निवेदन किया
कि प्रार्थना पत्र में कानूनी
त्रुटि रह गई है जिसमें संशोधन के
साथ नया प्रार्थनापत्र पेश करने की
इजाजत चाहता है अतः प्रार्थनापत्र
को नया प्रार्थनापत्र पेश करने की
अनुमति के साथ खारिज किया जावे

इसके पत्रावली का अवलोकन
किया प्रार्थना पत्र वापसी पर
निस्तारित की जाती है। प्रार्थी
को नया प्रार्थनापत्र पेश करने
की अनुमति के साथ खारिज किया
जाता है पत्रावली दाखिल दफ्तर हो

Scanned with CamScanner